रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270698
CG-DL-E-06032026-270698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 151]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

सा.का.नि. 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (i) के खण्ड (छ) और (ण) के साथ पठित धारा 56 की उप धारा (2) के खण्ड (ठकक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदण्ड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के तेल समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के तेल के समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) संशोधन नियम 2026 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत, मानदण्ड और मानक, प्ररूप, समय जिसके अधीन तथा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के

तेल समकक्ष का प्रति मीट्रिक टन मूल्य) नियम, 2012 के नियम 16 के उप-नियम 2(ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम 2(घ) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"(2घ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपभोग की गई ऊर्जा के समकक्ष प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य वर्ष 2021-22 के लिए बाइस हजार सात सौ चौहत्तर (22,774) होगा और अगले लक्षित वर्षों के लिए वह मूल्य होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

[फा. सं. 11-10/3/2020-ईसी]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य इंजीनियर

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269(अ), तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 916(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (laa) of sub-section (2) of section 56, read with clauses (g) and (o) of sub-section (i) section 14, sub-section (1) of section 14 A and section 14B of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with Bureau, hereby makes the following rules further to amend the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Rules 2012, namely:-

1. Short title and commencement-

    1) These rules may be called the Energy Conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed) Amendment Rules, 2026.

    2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Energy conservation (Energy Consumption Norms and Standards for Designated Consumers, Form, Time within which, and Manner of Preparation and Implementation of Scheme, Procedure for Issue of Energy Savings Certificate and Value of Per Metric Ton of Oil Equivalent of Energy Consumed), Rule 2012, under Rule 16, after sub-rule 2(C), the following sub-rule 2(D) shall be inserted, namely: -

    "(2D) The value of per metric tonne of oil equivalent of energy consumed for the purpose of these rules shall be twenty-two thousand seven hundred and seventy-four rupees (22,774) for the year 2021-22 and for the succeeding target years shall be such amount as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette".

[F. No. 11-10/3/2020-EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 269(E), dated the 30th March, 2012 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 916(E), dated the 26th December, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.06 16:05:14 +05'30'